कार्यालय सदस्य सचिव जिला मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, म.गा.चि. बांसवाड़ा

क्रमांक : पी.एम.ओ. / बांस. / मे.रि.सो. / 10 /   दिनांक :— 07.04.2010

: : निविदा सूचना : :

राजकीय महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बाँसवाड़ा में निम्न कार्य सम्पादन हेतु मोहरबन्द निविदाएं दिनांक 26.04.2010 को दोपहर 3.00 बजे तक बेची जाकर उसी दिन दोपहर 4 बजे तक प्राप्त की जाकर अपरान्ह 5.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेगी। कार्य विवरण एवं निविदा शुल्क निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	कार्य विवरण	थ्नविदा शुल्क रू.	अनुमानित लागत रू.	अमानत राशि रू. (2 %)
1.	वर्ष 2010—11 हेतु म0गां0चि0, बांसवाड़ा के भवन एवं परिसर में सम्पूर्ण सुरक्षा कार्य का ठेका	100	2,90,000	7800
2.	सम्पूर्ण चिकित्सालय के भवनों जिसमें जनाना चिकित्सालय भी शामिल हैं एवं चिकित्सालय परिसर में सफाई कार्य ठेका (कार्य अवधि 1 वर्ष)	100	3,00,000	6000
3.	चिकित्सालय परिसर में साईकल स्टेण्ड ठेका (कार्य अवधि 1 वर्ष)	100	1,75,000	5000
4.	स्टेषनरी / प्रिन्टिंग	100	2,00,000	4000
5.	लेबोरेटरी हेतु सामग्री	100	3,00,000	6000
6.	बिजली का सामान	100	2,00,000	4000

निविदा प्रपत्र एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी प्रकाशित होने के बाद किसी भी कार्य दिवस में आवश्यक निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त की जा सकती हैं तथा वेब साईड www.banswara.nic.in पर देखी जा सकती है। उक्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार किसी भी स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। लाइसेंसधारी एवं पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ही फार्म भरे एवं स्वीकार किये जावेंगे। उपरोक्त कार्यो हेतु सशर्त निविदाऐं मान्य नहीं होंगी। अमानत राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदा फार्म में दरे वार्षिक भरी गई ही मान्य होगी। शेष शर्ते कार्यालय समय में देखी जा सकती है ।

सदस्य सचिव
जिला मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी
म.गां.चि., बांसवाडा

कार्यालय सदस्य सचिव जिला मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, म.गा.चि. बांसवाड़ा

क्रमांक : पी.एम.ओ. / बांस. / मे.रि.सो. / 10 /   दिनांक :– 07.04.2010

: : निविदा सूचना : :

राजकीय महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बाँसवाड़ा में निम्न कार्य सम्पादन हेतु मोहरबन्द निविदाएं दिनांक 26–04–2010 को दोपहर 3.00 बजे तक बेची जाकर उसी दिन दोपहर 4 बजे तक प्राप्त की जाकर अपरान्ह 5.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेगी। कार्य विवरण एवं निविदा शुल्क निम्न प्रकार है :–

1. वर्ष 2009–10 हेतु म0गां0चि0, बांसवाड़ा के भवन एवं परिसर में सम्पूर्ण सुरक्षा कार्य का ठेका कार्य अवधि 1 वर्ष, 2. सम्पूर्ण चिकित्सालय के भवनों जिसमें जनाना चिकित्सालय भी शामिल हैं एवं चिकित्सालय परिसर में सफाई कार्य ठेका (कार्य अवधि 1 वर्ष), 3. चिकित्सालय परिसर में साईकल स्टेण्ड ठेका (कार्य अवधि 1 वर्ष), 4. स्टेशनरी / प्रिंटीग 5. लेबोरेटरी हेतु सामग्री, 6. बिजली का सामान

निविदा प्रपत्र एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी प्रकाशित होने के बाद किसी भी कार्य दिवस में आवश्यक निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त की जा सकती हैं तथा वेब साईड www.banswara.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव
जिला मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी
म.गां.चि., बांसवाडा

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक (जन. स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , राज., जयपुर
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर (राज.)
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा (राज.)
5. उप नियन्त्रक / नर्सिंग अधीक्षक, म.गा.चि., बांसवाड़ा।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय / जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय / सूचना केन्द्र, नोटिस बोर्ड पर वास्ते चस्पा हेतु।

सदस्य सचिव
जिला मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी
म.गां.चि., बांसवाडा

Issued to M/s ……………………………………..

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
म.गा.चि., बांसवाड़ा

<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बाँसवाड़ा (राज.)

<u>निविदा प्रपत्र प्रारूप</u>

1. राजकीय चिकित्सालय म0गां0चि0 बांसवाडा में .... का ठेका.
2. आवेदक का नाम एवं पुरा पता .... जिसके आधार पर पत्र व्यवहार किया जा सके (दूरभाष संख्या..)
3. ठेके की अवधि दिनांक .... के .... तक
4. सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति का क्रमांक : .... दिनांक ....संदर्भ में।
5. निविदा की अनुमानित राशि .... (रू0 शब्दों में) ....
6. अमानत राशि रू0 अंकों में............................ शब्दों में ....
रसीद / चालान / बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. संख्या .... दिनांक ....
7. 1. निविदा शुल्क रूपये ....
2. जमा का विवरण, रसीद संख्या ....दिनांक ....
8. निविदा प्रपत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि........................... समय.......................
9. निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक .... एवं समय ....
10. निविदादाता द्वारा उक्त ठेके के लिये चाही गई प्रस्तावित राशि रूपये .... (शब्दों में) ....
11. चिकित्सालय में ....सम्पादन का समस्त विवरण एवं संलग्न शर्ते मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक पढ ली गई है, तथा मुझे पूर्णतः स्वीकार है।

.प्रमख चिकित्सा अधिकारी
म0गां0चि0 बांसवाडा

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय पूर्ण पता :
निविदा की उपरोक्त सभी शर्तो को मैने पूर्णतः पढ़ लिया है तथा मुझे उक्त शर्ते पूर्णतया मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>
(देखिए नियम 48-vii)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने .... मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर दिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्ध कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

महात्मा गाँधी हॉस्पीटल राजकीय चिकित्सालय बाँसवाड़ा के परिसर में सुरक्षा ठेके के लिये टेण्डर की शर्ते :–

टेण्डर देने वाले को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहियें। टेण्डर भरते समय इनका पूर्णतया पालना करना चाहियें। टेण्डर प्रस्तुत करने से पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाँसवाड़ा द्वारा किसी भी शर्त की व्याख्या व विशेष विवरण के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा और टेण्डर देने वाले को मान्य होगा। अनुभवी ठेकेदार को प्राथमिकता दी जा सकती हैं। अतः कार्य के सम्बन्ध में अपना अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

शर्ते :–

(1) वित्तीय एवं तकनीकी बिड अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जावें।

(2) गृह एवं सुरक्षा विभाग एवं श्रमीक सम्बंधित पंजियनशुदा ठेकेदार को प्राथमिकता दी जावेगी।

(3) गृह विभाग के परिपत्र सं.प.33 (1) ग्रह–9/2005 दिनांक 21.06.2007 के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था ठेकेदार को गृह विभाग से ''दी प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (रेगुलेशन) एक्ट 2005 की धारा 4 क के तहत अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसकी बीड़ अस्वीकृत कर दी जावेगी Custom and Exies Dept., G.O.I. , एवं श्रमिक विभाग ने पंजियनशुदा ठेकेदार को प्राथमिकता दी जावेगी।

(4) सुरक्षा ठेके की अवधि एक वर्ष होगी जो ठेका प्रारम्भ होने की दिनांक से शुरू होगी। समय में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।

(5) निविदाये प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से निर्धारित शुल्क राशि रू0 200/– नकद/ड्राफ्ट से निविदा सूचना में दिये गयें समय में जमा करा प्राप्त की जा सकेंगी। चैक मान्य नहीं होगा।

(6) निविदायें निर्धारित प्रपत्र में ही स्याही से हिन्दी या अंग्रेजी में ही भरकर प्रस्तुत की जावें। अतिरिक्त अन्य पत्र पर दी गई दरें स्वीकार नहीं की जावेंगी। निविदादाता लिफाफे के पीछे अपना पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित करें।

(7) टेण्ड़र एक मज़बूत मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके प्रमुख रूप से सुरक्षा कार्य हेतु निविदा अंकित करते हुए कार्यालय में निविदा सूचना में दिये गयें समय तक प्राप्त हो जानी चाहियें। डाक द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से इस समय के पश्चात् प्राप्त निविदायें मान्य नहीं होगी। उनको न खोला जावेंगा और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(8) निविदादाता को अंक व शब्द स्वच्छ अक्षरों में लिखना चाहियें। अंक अस्पष्ट होने की स्थिति में शब्दों में लिखी दर ही मान्य होगी। शब्द को मिटाने परिवर्तन करने, सुधारने या शब्द पर शब्द लिखने की स्थिति में प्रत्येक कटींग पर टेण्डर देने वाले के पूर्ण हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगें।

(9) चिकित्सालय भवन व परिसर में सुरक्षा कार्य का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र में हैं, जिसको चिकित्सालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड व निर्देशों के अनुसार नियम समय पर करना होगा।

(10) किसी भी विवाद में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाँसवाड़ा का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को इसकी पालना करनी होगी।

(11) सुरक्षा कार्य का बिल नर्सिंग अधीक्षक से प्रति माह प्रमाणित करवाना होगा कार्य पूर्णतया सन्तोषप्रद है, तब ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। सुरक्षा कर्मियों को प्रतिमाह नियमित एवं विधिक (Legal) भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(12) पूर्व में जिन निविदा दाताओं द्वारा टेण्डर स्वीकृती के उपरान्त धरोहर राशि जमा नही करावाई गई है वे व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र माने जावेगे ।

(13) कार्यावधि मे तीन बार या इससे अधिक कार्य असंतोषप्रद पाये जाने की लिखित चेतावनी पर सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्धित कर दिया जावेगा ।

(14) ठेकेदार द्वारा लगाये गये सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार्य सम्पादन में की गई कमी के लिए ठेकेदार पूर्णतया उत्तरदायी होगा जिसके लिये उसे खर्च, दण्ड या जुर्माना भी देना पड़ सकता हैं।

(15) ठेकेदार को वार्षिक दर से स्वीकृत राशि के आधार पर मासिक भुगतान प्रत्येंक अगले माह की 10 तारीख को देय होंगा। यह भुगतान ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने एवं प्र0 चि0 अ0 द्वारा मनोनीत अधिकारी से प्रमाणित होने के पश्चात् ही भुगतान किया जा सकता हैं।

(16) स्वीकृत ठेका किसी अन्य व्यक्ति, ठेकेदार या संस्था को सबलेट करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं होगा। सबलेट करने पर भुगतान नहीं किया जावेंगा।

(17) किसी प्रकार की कानूनी कानुनी विवाद की स्थिती में न्याय क्षेत्र बाँसवाड़ा स्थित न्यायिक न्यायाधिश क्षेत्र होगा ।

(18) सुरक्षा कार्य निविदानुसार नहीं करने या छोड़ने/बन्द करने की दशा में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के खर्चे पर उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से करवा सकता हैं और उसमें हुआ कुल व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्र0चि0अ0 को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार के कार्य न करने अथवा छोड़ने या बन्द करने कि स्थिति में ठेकेदार पर 200/रू0 प्रतिदिन तक का आर्थिक दण्ड लगा सकेगा तथा जिसकी वसुली ठेकेदार को देय भुगतान जमा प्रतिभूति में से की जा सकेगी। प्रतिभूति राशि जब्त भी की जा सकती है।

(19) ठेकेदार को निविदा प्रपत्र एवं संलग्न की गई ठेके की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा निविदा प्रपत्र में निर्धारित कर्मी अनिवार्य रूप से लगाने होंगे।

(20) ठेकेदार को निविदा के साथ अनुमानित लागत की अमानत राशि ; डी.डी/बैंकर्स चैकर्स द्वारा जमा करानी होगी। अमानत राशि क्या होगी यह निविदा प्रपत्र में बताया गया हैं।

(21) असफल निविदा दाताओं की बयाना राशि ठेका कार्य प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पश्चात् लौटाई जायेगी। सफल निविदा दाता की अमानत राशि प्रतिभुति राशि में सम्मीलीत की जा सकेगी।

(22) जिस निविदा दाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा उसे ठेके की स्वीकृत कुल राशि के 5ः प्रतिभुति राशि एक सप्ताह में नकद/डी0डी0 द्वारा राजकोष में जमा करानी होगी एवं इसमें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम भाग–11 के नियम के प्रावधान लागू रहेंगे।

(23) अमानत राशि व प्रतिभूति राशि पर चिकित्सालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेंगा।

(24) सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात् 500/–रू0 नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प्स पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध का प्रपत्र संलग्न है । वह लागू होगा। निविदा के साथ दिये गये प्रपत्र व कार्य निविदा प्रपत्र अनुबन्ध के भाग होंगे।

(25) प्रतिभूति राशि को ठेके की अवधि की समाप्त होने के उपरान्त एक माह में अन्य कोई बकाया नहीं होने एवं ठेके की अवधि में कार्य पूर्ण सन्तोषप्रद करने की स्थिति में ठेकेदार को लौटाई जावेंगी।

(26) न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्र. चि. अ. बाँसवाड़ा को व कमेटी को होगा तथा वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इसमें कोई विवाद मान्य नहीं होगा। उनके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा।

(27) यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुबन्ध व टेण्डर की शर्तो के अनुरूप कार्य करने में असफल रहता हैं तो उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जावेगी तथा ठेका की शेष अवधि के लिये पुनः निविदायें आमन्त्रित कर कार्य अन्य ठेकेदार/संस्था से कराया जा सकेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से नियमानुसार वसुली योग्य होगी।

(28) आयकर अधिनियम के अनुसार ठेकेदार के बिलों से स्त्रोत पर ही काट कर आयकर विभाग में जमा कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त कोई सेवाकर/बिक्रीकर या अन्य कोई कर नियमानुसार देय होता है तो उसे ठेकेदार को वहन करना होगा।

(29) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाँसवाड़ा या उनकी ओर से कोई भी अधिकृत अधिकारी किसी भी समय काय्र का निरीक्षण कर सकते हैं। तथा कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर ठेकेदार को नोटिस दिया जावेगा । ठेकेदार को उनके कहे अनुसार कार्य करना होगा। अन्यथा शर्तो में उल्लंघन मानते हुए प्र. चि. अ. नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(30) ठेकेदार को कार्य आदेश मिलने पर 7 दिवस में अनुबन्ध कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा उसकी अमानत/ धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

(31) ठेकेदार को केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम नियमों की पालना करनी होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगा। विभाग का कोई उत्तरदायीत्व नहीं होगा।

(32) यदि ठेकेदार स्वयं या उनके कर्मचारी कार्य के दौरान चिकित्सालय की किसी भी चल अचल सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो उसकी वसुली ठेकेदार से की जावेगी।

(33) निविदा सभी दृष्टि से पूर्ण होनी चाहियें किसी भी दृष्टि से अपूर्ण पाये जाने पर निविदा प्रथम दृष्ट्या निरस्त कर दी जावेगी। तकनिकी निविदा में असफल रहने वाली निविदा दाता की वित्तीय बिड़ नही खोली जावेगी ।

(34) ठेकेदार के कर्मियों को विभाग द्वारा अनुमोदित पोशाक, खाकी पेन्ट, शर्ट, पहननी होगी। जिस पर उसके नाम का वेज लगा हुआ होना चाहियें। पोशाक का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा।

(35) ठेके से सम्बंधित समस्त पत्राचार प्र0 चि0 अ0 बाँसवाड़ा के नाम करना होगा।

(36) शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

(37) उपरोक्त सभी कार्य सम्बन्धित शर्ते तथा समय पर निर्देशित कार्य बिना किसी रूकावट व हिचकिचाहट के प्रशासन की सन्तुष्टि तक सम्पादित करना होगा।

(38) संविदा श्रम नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 में वर्णित नियमों एवं इसी संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों इत्यादि हेतु ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। सुरक्षा कार्य में नियोजित कर्मचारियों को मासिक भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(39) सुरक्षा कार्य हेतु अनुभव रखने वाले लाईसेन्सधारी /पंजीकृत ठेकेदार द्वारा पूर्णरूप से भरी हुई निविदा ही मान्य होगी।

(40) निविदा विक्रय/प्राप्ती/खोलने को यदि किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस मे निविदा विक्रय/प्राप्त/खोली जावेगी ।

सदस्य सचिव
जिला मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी
बांसवाडा

उपरोक्त सभी शर्तो को मैने पढ़ लिया हैं तथा उक्त शर्ते पूर्णतया मन्जूर हैं। निविदा प्रपत्र व शर्तो के प्रत्येंक पृष्ठ पर मैंने प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदा दाता

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : पी.एम.ओ. / बांस. / लेखा / 09—10 /   दिनांक :—

: : निविदा सूचना : :

कार्य का विवरण :—

1. प्रतिदिन सफाई कर्मी लगाकर चिकित्सालय के सम्पूर्ण भवन, नवीन शिशु एवं प्रसूति भवन, वार्ड्स, आउटडोर, सीढ़ियों की सफाई झाडू से पोछा लगाकर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे तैयार हो जाने चाहिये प्रत्येक 15 दिवस में पूरे चिकित्सालय भवन की दिवारों (पांच फिट की ऊँचाई तक) व फर्श की धुलाई करनी होगी।
2. चिकित्सालय में समस्त लेट्रीन व बाथरूम की सफाई प्रति दिन फिनाईल से करके नेप्थलीन की गोलियां डालनी होगी।
3. चिकित्सालय के पूरे परिसर के बाहर अर्थात् (मेनगेट दूसरे गेट व दूसरे गेट से ट्रेनिंग सेन्टर वहां से सुलभ कोम्पलेक्स तक, सुलभ कॉम्पलेक्स से कोटेज वार्ड के पीछे हिस्से तथा जनाना हॉस्पीटल के आस—पास) की प्रतिदिन झाडू से सफाई करनी होगी तथा ड्रेनेज व गटर की सफाई भी नियमित रूप से करनी होगी। कचरा परिसर में निर्धारित स्थान पर नर्सिंग अधीक्षक के निर्देशानुसार डाला जायेगा।
4. सुबह की सफाई के पश्चात् शाम को 5 बजे बाद पूरी नियमित सफाई पूरे चिकित्सालय भवन की करनी होगी।
5. 24 घण्टे बेडपान, स्पूटम मग, बाल्टी, तसला व ड्रेसिंग ट्रोली, मैकिन्तोश रबर की चीजे, गन्दी चादरे, खुन से भरी हुई चादरों की सफाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को सफाई व्यवस्था 24 घण्टे बनाये रखने के लिये आवश्यक प्रबन्ध बनाये रखना होगा किसी भी समय आवश्यकता होने पर तुरन्त सफाई कार्य करने हेतु व्यवस्था रखनी होगी। वर्षभर में उक्त कार्यो पर लगभग रूपये 300000/— खर्च होने का अनुमान है।
6. सफाई ठेके की अवधि एक वर्ष के लिए कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ठेके की अवधि एक वर्ष के आपसी सहमति से उसी दर पर बढ़ाई जा सकेगी ।

टेण्डर की शर्ते :—

1. सफाई ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी तथा निविदाऐं इस कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र में ही भरी हुई मान्य होगी।
2. टेण्डर एक मजबुत लिफाफे में बन्द करके उस पर प्रमुख रूप से सफाई ठेका निविदा अंकित करके इस कार्यालय में दिनांक 26—04—2010 को दोपहर 3.00 बजे तक भेजनी होगी।
3. टेण्डर देने वाले की दरें व अन्य विवरण स्वच्छ अक्षरों में लिखना चाहिये शब्दों को मिटाने/परिवर्तन करने, सुधारने की स्थिति में प्रत्येक पर टेण्डर देने वाले के पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।
4. चिकित्सालय भवन व परिसर की सफाई इस कार्यालय के द्वारा निर्धारित मापदण्ड, निर्देशों व नियमों से समय पर करनी होगी। कार्य का विवरण उपर अंकित है इस सन्दर्भ में किसी तरह का स्पष्टीकरण निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
5. चिकित्सालय की महिला वार्ड व प्रसूति कक्ष की सफाई व्यवस्था हेतु महिला श्रमिक ही लगानी होंगी।
6. सफाई के कार्य में आने वाला सामान यथा झाडू, फिनाईल, नेप्थलीन, तरल साबुन इत्यादि सामान उपयोग में लाने होंगे एवं ठेकेदार स्वयं अपने खर्चे से उपलब्ध करवायेगा। इस चिकित्सालय के सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य में जो सामान उपयोग में लिया जाता है वह सभी प्रकार का सामान ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर खरीद कर नर्सिंग अधीक्षक को बताकर उपयोग में लेगा। यदि सामग्री को उपयोग में नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सफाई कर्मियों को सामग्री सीधे ही चिकित्सालय द्वारा क्रय कर उपलब्ध करा दी जायेगी जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
7. सफाई के उपरान्त चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षक से प्रति माह प्रमाणित करवाना होगा कार्य पूर्णतया सन्तोषप्रद है, तब ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। सफाई कर्मियों को प्रतिमाह नियमित एवं विधिक ;स्महंसद्ध भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. दरें सभी करो सहित देवें।
10. राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाने वाली सभी कटौतियां बिल में से की जावेंगी।
11. सफाई कार्य हेतु वैध पंजीकृत फर्म जिसको सफाई कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव निविदा हेतु को ही पात्र माना जायेगा । वैध पंजीकरण के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
12. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. निविदा फर्म द्वारा दरे वार्षिक आधार पर भरी गयी ही मान्य होगी।

15. स्वीकृत ठेका किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं होगा।
16. समय पर निर्देशानुसार सफाई कार्य नहीं करने, बन्द करने की दशा में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह पूर्ण अधिकार होगा की ठेकेदार के खर्चे पर उक्त कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से करवा सकता है और उस पर हुआ पूर्ण व्यय ठेकेदार से वसूली योग्य होगा जिस ठेकेदार के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा उस ठेके की स्वीकृति की कुल राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभुति राशि बैंक ड्राफ्ट/सावधी जमा/किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र आदि के रूप में एक सप्ताह में जमा करानी होगी तथा नियमानुसार 500 रूपये के नोन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा। इस राशि को ठेके की अवधि समाप्त होने के उपरान्त अन्य कोई बकाया नहीं होने की स्थिति में ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा।
17. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 6,000/— मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक/नगद के रूप में जमा करानी होगी बिना अमानत राशि के टेण्डर मान्य नहीं होगा।
18. किसी भी विवाद के समय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय बांसवाडा का निर्णय अन्तीम होगा।
19. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र बांसवाडा रहेगा।
20. ऑपरेशन थियेटर की सफाई से ठेकेदार का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
21. चिकित्सालय के लेट्रिन बाथरूम के सामान जैसे नल की टोटीयां आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगीं। चोरी होने की स्थिति में ठेकेदार के बिल से राशि काटकर भुगतान किया जावेगा।
22. प्रत्येक वार्ड में एक कर्मचारी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक व शाम को 4 बजे से 7 बजे तक उपस्थित रहना चाहिए।
23. ठेकेदार को प्रतिदिन चिकित्सालय के विभिन्न अपशिष्ट पदार्थो को नर्सिंग अधीक्षक के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर बने गड्ढे में डालकर निस्तारित करना होगा।
24. ठेकेदार को प्रतिदिन चिकित्सालय के विभिन्न वार्डो में दो बार पोछा एवं सफाई तथा शौचालय की सफाई दिन में तीन बार करनी होगी।
25. समय पर नियमित सफाई का कार्य नहीं होने पर दैनिक कटौती के साथ ही कटौति की 5ः अतिरिक्त राशि पेनल्टी ली जावेगी। साथ ही उक्त कार्य करने में नियमित रूप से लापरवाही की जाती है तो आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
26. यदि दो निविदादाताओं की दरें एक समान आती हैं तो जिसका कार्यानुभव अधिक होगा, को प्राथमिकता दी जावेगी।
27. जी.एफ. एण्ड ए.आर. के सभी सुसंगत नियम स्वतः ही लागू माने जायेंगे।
28. आयकर अधिनियम के अनुसार ठेकेदार के बिलों से स्त्रोत पर ही काट कर आयकर विभाग में जमा कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त कोई सेवाकर/बिक्रीकर या अन्य कोई कर नियमानुसार देय होता है तो उसे ठेकेदार वहन करेगा।
29. संविदा श्रम नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 में वर्णित नियमों एवं इसी संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी इत्यादि ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। धुलाई कार्य में नियोजित कर्मचारियों को मासिक भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
30. पूर्व में जिन निविदा दाताओं द्वारा टेण्डर स्वीकृती के उपरान्त धरोहर राशि जमा नही करावाई गई है वे व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र माने जावेगे ।
31. कार्यावधि मे तीन बार या इससे अधिक कार्य असंतो ाप्रद पाये जाने की लिखित चेतावनी पर सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति भवि य में निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्धित कर दिया जावेगा ।
32. निविदा विक्रय/प्राप्ती/खोलने को यदि किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस मे निविदा विक्रय/प्राप्त/खोली जावेगी ।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
म0 गां0 चि0 बांसवाडा

मैंने उपरोक्त सभी शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णतः स्वीकार हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पूर्ण पता

Condition for Stationary/Printing Items

1. धरोहर राशि नकद / बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जावेगी। बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा प्रपत्र निर्धारित निविदा फॉम में ही प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित शुल्क जमा कराकर पी0एम0ओ0 कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निर्धारित प्रपत्र में निविदा प्राप्त नहीं होने पर निरस्त कर दिया जावेगा। निविदा फॉर्म दिनांक 26.04.2010 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय समय में विक्रय किये जावेंगे।
3. सीलबन्द निविदाऐ जिस पर टेण्डर फोर स्टेशनरी / प्रिटिंग लिखा हुआ निर्धारित होना चाहिये। निविदा फार्म व्यक्तिगत रूप से जमा कराकर रसीद प्राप्त करें अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे।
4. क्रय समिति न्युनतम दर को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं। बिना कारण बताये किसी भी निविदा को क्रय समिति निरस्त कर सकती हैं या किसी भाग को निरस्त कर सकती हैं । किसी भी विवाद की स्थिति में कमेटी का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
5. निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. निविदा के साथ निविदादाताओं को उत्पादको /अधिकृत विक्रेता/ थोक विक्रेता/ बोनाफाइड डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा सभी उपकरण / सामान / स्पेशीफीकेशन के अनुरूप होने चाहिए। बिना स्पेशीफीकेशन के अनुरूप सामान की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. सामग्री / उपकरण क्रय हेतु आई0एस0आई0 / आई0एस0ओ0 मार्क को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. निविदा के साथ बिक्रिकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. एफ. ओ. आर. म. गा. चि. बांसवाडा होगा, स्थानीय कर यदि कोई हो तो निविदादाताओं को वहन करना होगा।
10. सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र बांसवाडा रहेगा ।
11. निविदा दरें निविदा खोलने की दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगी। सामग्री समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार क्रय की जायेगी। सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
12. सा0 वित्तीय लेखा नियम के अनुसार टेण्डर हेतु वर्णित समस्त शर्तो के पालन के लिए विक्रेता बाध्य होगा।
13. राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाने वाली सभी कटौतियां बिल में से की जाएगी।
14. सामग्री टिकाऊ एवं अच्छी क्वालिटी की एवं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
15. दरे सभी करों सहित देवें।
16. अनुबंध सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
17. सफल निविदादाताओं को एक करार एवं 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 7 दिन में जमा करानी होगी।
18. प्रिन्टिंग सामान की आपूर्ति स्पेसीफिकेशन अनुरूप पाये जाने पर ही आपूर्ति स्वीकार की जायेगी।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
20. प्रिन्टिंग सामान आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में सप्लाई करना होगा। सप्लाई बाधित होने पर हुई क्षति के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।
21. उक्त सभी प्रिन्टिंग एक वर्ष की अवधि में आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी।
22. उत्तम क्वालिटी का पेपर क्र.सं. अनुसार 100 के पेड में संलग्न नमूने एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार, होना चाहिए।
23. जी.एफ. एण्ड ए.आर. के सभी सुसंगत नियम स्वतः ही लागु माने जायेंगे।
24. आयकर अधिनियम के अनुसार ठेकेदार के बिलों से स्त्रोत पर ही काट कर आयकर विभाग में जमा कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त कोई आयकर / बिक्रीकर या अन्य कोई कर नियमानुसार देय होता है तो उसे ठेकेदार वहन करेगा।
25. पूर्व में टेण्डर स्वीकृती के उपरान्त धरोहर राशि जमा नही कराने वाले व्यक्ति अपात्र है ।
26. कार्याविधि मे तीन बार या इससे अधिक कार्य असंतोषप्रद पाये जाने की लिखित चेतावनी पर भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्धित हो जावेगा ।
27. संविदा श्रम नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 में वर्णित नियमों एवं इसी संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम दरें भरने एवं चुकाने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। धुलाई कार्य में नियोजित कर्मचारियों को मासिक भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
28. पूर्व में जिन निविदा दाताओं द्वारा टेण्डर स्वीकृती के उपरान्त धरोहर राशि जमा नही करावाई गई है वे व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र माने जावेगे ।
29. कार्यावधि मे तीन बार या इससे अधिक कार्य असंतोषप्रद पाये जाने की लिखित चेतावनी पर सम्बन्धित फर्म / व्यक्ति भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्धित कर दिया जावेगा ।
30. निविदा विक्रय / प्राप्ती / खोलने को यदि किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस मे निविदा विक्रय / प्राप्त / खोली जावेगी ।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ,

म0गां0चि0 बांसवाडा

निविदा की उपरोक्त सभी शर्तो को मैने पूर्णतः पढ़ लिया है तथा मुझे उक्त शर्ते पूर्णतया मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

एवं पूर्ण पता

Condition for Electrical Item

1. धरोहर राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत की जावेगी। बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा प्रपत्र निर्धारित निविदा फॉम में ही प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित शुल्क जमा कराकर पी0एम0ओ0 कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निर्धारित प्रपत्र में निविदा प्राप्त नहीं होने पर निरस्त कर दिया जावेगा। निविदा शुल्क लौटाया नहीं जावेगा। निविदा फॉम दिनांक 26.04.2010 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय समय में विक्रय किये जावेंगे।
3. सीलबन्द निविदाऐ जिस पर बिजली सामग्री हेतु टेण्डर लिखा हुआ होना चाहिये। निविदा फार्म व्यक्तिगत रूप से जमा कराकर रसीद प्राप्त करें अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे।
4. क्रय समिति न्युनतम दर को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं। किसी भी निविदा का बिना कारण बताये क्रय समिति निरस्त कर सकती हैं या किसी भाग को निरस्त कर सकती हैं । किसी भी विवाद की स्थिति में कमेटी का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
5. निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. निविदा के साथ निविदादाताओं को उत्पादको/अधिकृत विक्रता/थोक विक्रेता/बोनाफाइड डिलर/ड्रग लाईसेंस का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
7. सामग्री/उपकरण क्रय हेतु आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 मार्क को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. निविदा के साथ बिक्रिकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. एफ. ओ. आर. म. गा. चि. बांसवाडा होगा, स्थानीय कर यदि कोई हो तो निविदादाताओं को वहन करना होगा।
10. सभी प्रसंगो का न्याय क्षेत्र बांसवाडा रहेगा।
11. निविदा दरें निविदा खोलने की दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगी।
12. सा0 वित्तीय लेखा नियम में वर्णित समस्त शर्तो की पालना के लिए विक्रेता बाध्य होगा।
13. राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाने वाली सभी कटौतीयां बिल में से की जाएगी।
14. दरे सभी करों सहित देवें।
15. अनुबंध सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबन्ध को सबलेट करने पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
16. सफल निविदादाताओं को एक अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा । करार एवं 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 7 दिन में जमा करानी होगी।
17. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
18. उक्त सभी बिजली सामग्री/उपकरण एक वर्ष की अवधि में आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी।
19. आयकर अधिनियम के अनुसार ठेकेदार के बिलों से स्त्रोत पर ही काट कर आयकर विभाग में जमा कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर या अन्य कोई लेवी नियमानुसार देय होता है तो उसे ठेकेदार वहन करेगा।
20. पूर्व में टेण्डर स्वीकृती के उपरान्त धरोहर राशि जमा नही कराने वाले व्यक्ति अपात्र है ।
21. कार्याविधि मे तीन बार या इससे अधिक कार्य असंतोषप्रद पाये जाने की लिखित चेतावनी पर भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्धित हो जावेगा ।
22. संविदा श्रम नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 में वर्णित नियमों एवं इसी संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम दरें भरने एवं चुकाने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। धुलाई कार्य में नियोजित कर्मचारियों को मासिक भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
23. निविदा विक्रय/प्राप्ती/खोलने को यदि किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस मे निविदा विक्रय/प्राप्त/खोली जावेगी ।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
म0गां0चि0 बांसवाडा

निविदा की उपरोक्त सभी शर्तो को मैने पूर्णतः पढ़ लिया है तथा मुझे उक्त शर्ते पूर्णतया मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

Condition for Patholagy/ Blood Bank Items

1. धरोहर राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत की जावेगी। बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा प्रपत्र निर्धारित निविदा फॉम में ही प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित शुल्क जमा कराकर पी0एम0ओ0 कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निर्धारित प्रपत्र में निविदा प्राप्त नहीं होने पर निरस्त कर दिया जावेगा। निविदा शुल्क लौटाया नहीं जावेगा। निविदा फॉम दिनांक .... को .... बजे तक कार्यालय समय में विक्रय किये जावेंगे।
3. सीलबन्द निविदाऐ जिस पर लेब सामग्री हेतु निविदा.................................. लिखा हुआ होना चाहिये। निविदा फार्म व्यक्तिगत रूप से जमा कराकर रसीद प्राप्त करें अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे।
4. क्रय समिति न्युनतम दर को स्वीकार करने बाध्य नहीं हैं। बिना कारण बताये क्रय समिति निरस्त कर सकती हैं या किसी भाग को निरस्त कर सकती हैं । किसी भी विवाद की स्थिति में कमेटी का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
5. निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. निविदा के साथ निविदादाताओं को उत्पादको /अधिकृत विक्रेता/ थोक विक्रेता/ बोनाफाइड डिलर का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा सभी उपकरण/सामान/स्पेशीफीकेशन के अनुरूप होने चाहिए। बिना स्पेशीफीकेशन के अनुरूप सामान की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. सामग्री/उपकरण क्रय हेतु आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 मार्क को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. निविदा के साथ बिक्रिकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. एफ. ओ. आर. म0गां0 चिकित्सालय बांसवाडा होगा , स्थानीय कर यदि कोई हो तो निविदादाताओं को वहन करना होगा।
10. सभी प्रसंगो का न्याय क्षेत्र बांसवाडा रहेगा ।
11. निविदा दरें निविदा खोलने की दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगी। सामग्री समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार क्रय की जायेगी। सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
12. सा0 वित्तीय लेखा नियम में अनुसार टेण्डर हेतु वर्णित समस्त शर्तो की पालना के लिए विक्रेता बाध्य होगा।
13. राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाने वाली सभी कटौतीयां बिल में से की जाएगी।
14. सामग्री टिकाऊ एवं अच्छी क्वालिटी की एवं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
15. दरे सभी करों सहित देवें।
16. अनुबंध सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबन्ध को सबलेट करने पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
17. वस्तुओं के यथा सम्भव नमूने प्रस्तुत किये जावे तथा सामान से संबंधित आवश्यक हुआ तो प्रदर्शन भी करना होगा।
18. सफल निविदादाताओं को एक करार एवं 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 7 दिन में जमा करानी होगी।
19. सामान की आपूर्ति स्पेसीफिकेशन अनुरूप पाये जाने पर ही आपूर्ति स्वीकार की जायेगी।
20. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
21. सामान आदेश के अनुसार निर्धारीत अवधि में सप्लाई करना होगा। सप्लाई बाधित होने पर हुई क्षति के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।
22. उक्त सभी सामग्री एक वर्ष की अवधि में आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी।
23. Best Quality/ As per Specification/ Make/ Brand का नाम अंकित करें।
24. आयकर अधिनियम के अनुसार ठेकेदार के बिलों से स्त्रोत पर ही काट कर आयकर विभाग में जमा कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर या अन्य कोई लेवी नियमानुसार देय होता है तो उसे ठेकेदार वहन करेगा।
25. पूर्व में टेण्डर स्वीकृती के उपरान्त धरोहर राशि जमा नही कराने वाले व्यक्ति अपात्र है ।
26. कार्याविधि मे तीन बार या इससे अधिक कार्य असंतोषप्रद पाये जाने की लिखित चेतावनी पर भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्धित हो जावेगा ।
27. संविदा श्रम नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 में वर्णित नियमों एवं इसी संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम दरें भरने एवं चुकाने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। धुलाई कार्य में नियोजित कर्मचारियों को मासिक भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
28. निविदा विक्रय/प्राप्ती/खोलने को यदि किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस मे निविदा विक्रय/प्राप्त/खोली जावेगी ।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ,
म0गां0चि0 बांसवाडा

निविदा की उपरोक्त सभी शर्तो को मैने पूर्णतः पढ़ लिया है तथा मुझे उक्त शर्ते पूर्णतया मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बाँसवाड़ा (राज.)

महात्मा गाँधी हॉस्पीटल राजकीय चिकित्सालय बाँसवाड़ा के परिसर में स्थित साईकिल स्टेण्ड ठेके की शर्ते व नियम :–

1. राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाडा के स्टेण्ड ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी। कार्य सन्तोषजनक होने पर ठेकेदार की सहमति से ठेके की राशि पर 10 प्रतिशत की बढोतरी की जाकर एक वर्ष तक बढायी जा सकेगी ।
2. यह ठेका निविदाऐ आमंत्रित कर निष्पादित किया जायेगा, निविदाऐं चिकित्सालय प्रबन्ध कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। ठेके हेतु निविदाऐं भरने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को होगा, जो निविदा के साथ बयाना राशि के रूप में रूपये 5000/– का डी0डी0/बैंकर्स चैक/नगद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पक्ष में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करेगा। असफल निविदादाताओं द्वारा जमा करायी गई बकाया राशि ठेके की अन्तिम स्वीकृति जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर लौटाई जा सकेगी एवं इस राशि पर ब्याज के रूप में कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
3. जिस व्यक्ति के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उनके द्वारा बयाना राशि के रूप में जमा राशि रू0 5000/– मात्र को ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली द्वितीय किश्त में समायोजित की जावेगी।
4. जिस व्यक्ति की निविदा अधिकतम होगी उसको ठेके की कुल रकम की 10 प्रतिशत राशि उसी दिन जमा करानी होगी तथा अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि 10 दिवस के भीतर जमा करानी होगी । ठेका स्वीकृति के दिन 10 प्रतिशत राशि जमा कराने में असमर्थ होने पर बयाना राशि एवं शेष अतिरिक्त राशि 10 दिवस में जमा कराने में असमर्थ होने पर सम्पूर्ण जमा राशि को जब्त कर ली जायेगी तथा शेष वसूल राशि ठेकेदार को प्रतिमाह अनुपातिक राशि माह की 5 तारिख तक जमा करानी अनिवार्य होगी। अगर राशि जमा नहीं कराते हे तो नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं तत्काल ठेका निरस्त कर दिया जावेगा । ठेका स्वीकृत होने पर एक सप्ताह में ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा। प्रथम प्रति रू0 100 के नोन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर एवं शेष दो प्रति टाईप पेपर पर लिखी जावेगीं। अनुबन्ध पत्र निष्पादन के अभाव में ठेका प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. स्टेण्ड पर साईकिल मोपेड, स्कूटर, मोटर साईकिलों, कार की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी एवं चिकित्सालय परिसर मे ऑटो रिक्शा खडा नहीं रहे इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा एवं स्टेण्ड दिन एवं रात (राउण्ड दी क्लॉक) खुला रहेगा।

साईकिल/स्कूटर किराया की निर्धारित दरें निम्नानुसार है :–

(क) प्रति साईकिल प्रतिदिन एक बार रखकर वापिस ले जाने की दर	:	2.00 रू.
(ख) एक ही व्यक्ति द्वारा यदि साईकिल बार–बार रखने की सुविधा चाहने पर प्रतिदिन की दर	:	3.00 रू.
(ग) प्रति मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल प्रतिदिन एक बार रखकर वापिस ले जाने की दर	:	3.00 रू.
(घ) एक ही व्यक्ति द्वारा यदि मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल बार–बार रखने की सुविधा चाहने पर प्रतिदिन की दर	:	6.00 रू.
(ज) 1. चिकित्सालय स्टाफ एवं कर्मचारियों द्वारा साईकिल स्टेण्ड पर वाहन जमा कराने पर:		निःशुल्क
2. अन्य कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो डाक/तार इत्यादि कार्य से अस्पताल में आते है उनके वाहन जमा कराने पर	:	निःशुल्क
3. मोटर कार, जीप एक बार रखकर वापस ले जाने की दर	:	5.00
4. मोटर कार, जीप बार–बार रखकर वापस ले जाने की दर	:	10.00 रू.

नोट :– दिन से तात्पर्य प्रातः 8 बजे से आगामी दिन के प्रातः 8 बजे तक

(झ) ठेकेदार विभिन्न दरों की टोकन रसीदे अपने स्वयं के खर्चे पर छपवाने की व्यवस्था करेगा, जिसके नमूने की प्रति प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त साईकिल/मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल/कार रखते समय ही ठेकेदार को शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा।

(ण) चिकित्सालय परिसर में स्टेण्ड के अलावा अन्यत्र स्थान पर रखी मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की नहीं होगी। ठेकेदार स्टेण्ड पर जमा करायी गई साईकिल/मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को स्टेण्ड पर जमा नहीं करवाकर अन्यत्र रखता है तो रखे गये ऐसे वाहन उस स्थान पर से उठाकर निर्धारित स्टेण्ड पर ले जा सकता है उठाये गये वाहन का विवरण मेक एक समय एक अलग से रजिस्टर में रखना होगा। इस रजिस्टर का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण कर सकेगा और ऐसी स्थिति में वाहन के लिये निर्धारित शुल्क की दुगूनी राशि वाहन के मालिक से वसूल कर सकता है। चिकित्सालय के कर्मचारियों से कोई शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा।

6. वाहन से सम्बंधित व्यक्ति को अपना वाहन साईकिल स्टेण्ड पर जमा कराते समय ठेकेदार द्वारा टोकन देना अनिवार्य होगा। टोकन अलग–अलग शुल्क के लिए अलग रखने होंगे।

7. टोकन खो जाने पर वाहन मालिक द्वारा सूचना समय पर ठेकेदार को सूचना देने पर वाहन स्टेण्ड पर मौजुद हो ओर सूचना मिलने पर ठेकेदार द्वारा वाहन किसी अनाधिकृत व्यक्ति को दे दिये जाने की दशा में ठेकेदार द्वारा सम्बंधित वाहन चालक को वाहन का मूल्य देना होगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद होने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का निर्णय ही अन्तिम होगा। स्टेण्ड पर रखे गये वाहन से किसी प्रकार से कलपुर्जे की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी।
8. स्टेण्ड पर रखे गये व्यक्ति के बारे में पूर्ण सूचना कार्यालय को देनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के सद्व्यवहार के लिये उत्तरदायी होगा। उचित व्यवहार न करने वाले कर्मचारियों की पी.एम.ओ. की आज्ञा मिलने पर कार्य से हटाना होगा। ठेकेदार किसी कारणवश स्टेण्ड पर स्वयं न रहकर अन्य व्यक्ति को रखे तो कार्यालय द्वारा उस व्यक्ति को दी गई सूचना ठेकेदार की सूचना समझी जावेगी। ठेकेदार नियोजित कर्मचारियों की सूचना नियमित रूप से नर्सिंग अधीक्षक को देगा।
9. ठेकेदार को किसी दूसरे व्यक्ति को ठेका सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार को समय समय पर पीएमओ द्वारा जारी अनुदेशो का पालन करना होगा।
10. ठेकेदार स्वयं के खर्च से वाहन रखने की दरें एवं आवश्यक शर्तो का पूर्ण विवरण एक बोर्ड पर साफ लिखकर सर्व साधारण को सूचित करने के लिये स्टेण्ड पर लगायेगा। सूचना पट्ट ठेका प्रारम्भ होने के दिन से ही लगाना होगा।
11. ठेकेदार द्वारा शर्तो के विपरित कार्यवाही करने पर पीएमओ को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा। उसकी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।
12. ठेकेदार द्वारा निर्धारीत दरों से अधिक राशि वसूल करते पाये जाने पर भी ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
13. ठेकेदार उक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन करेगा तो ठेका निरस्त किया जा सकता है और /अथवा धरोहर राशि पूर्ण अथवा कोई अंश जब्त की जा सकती है।
14. साईकिल स्टेण्ड पर रात्रि या दिन में रोशनी की एवं उपयोग हेतु पानी एवं फर्निचर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर ठेकेदार को करनी होगी विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
15. सरकार अथवा ठेकेदार द्वारा यदि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा, न कि अन्यत्र स्थान पर।
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, विभाग/राज्यहित में किसी भी शर्त को बदलने अथवा नई शर्त रखने के लिये अधिकृत होगा।
17. साईकिल स्टेण्ड परिसर में ठेकेदार ठेके में अंकित कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेगा।
18. वाहन रखने के 48 घण्टे की समाप्ति के बाद भी अगर वाहन मालिक वाहन लेने हेतु नहीं आता है तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ऐसे वाहनों के बारे में पूर्ण विवरण सहित सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
19. ठेकेदार को पीएमओ द्वारा दी गई सभी हिदायतो का पूर्ण पालन करना होगा।
20. वाहन स्टेण्ड का स्थान चिकित्सालय उपलब्ध जगह के मध्यनजर जहां जैसा है, के अनुसार ठेकेदार द्वारा उपयोग में लिया जावेगा। इसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं प्रशासन की अनुमति से ही परिवर्तन हो सकेगा।
21. उपरोक्त शर्तो के अलावा निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित कोई अन्य शर्त विचारणीय अथवा स्वीकार्य नहीं होगी।
22. यदि दो निविदादाताओं की दरें एक समान आती हैं तो जिसका कार्यानुभव अधिक होगा, को प्राथमिकता दी जावेगी।
23. पूर्व में जिन निविदा दाताओं द्वारा टेण्डर स्वीकृती के उपरान्त धरोहर राशि जमा नही करावाई गई है वे व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र माने जावेगे ।
24. कार्यावधि मे तीन बार या इससे अधिक कार्य असंतोषप्रद पाये जाने की लिखित चेतावनी पर सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबन्धित कर दिया जावेगा ।
25. निविदा विक्रय/प्राप्ती/खोलने को यदि किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस मे निविदा विक्रय/प्राप्त/खोली जावेगी ।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
म0 गां0 चि0 बाँसवाड़ा

उपरोक्त सभी शर्तो को मैने पढ़ लिया हैं तथा उक्त शर्ते पूर्णतया मन्जूर हैं। निविदा प्रपत्र व शर्तो के प्रत्येंक पृष्ठ पर मैंने प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदा दाता